18

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 3511-एक/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 15-10-2015 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना - प्रकरण कमांक 48/13-14 अपील

श्रीमती रामकटोरी पत्नि मुरारीलाल गुप्ता
तहसील कार्यालय के सामने कैलारस
जिला मुरैना, मध्य प्रदेश --आवेदक

विरूद्ध

1- श्रीमती मधु गोयल पत्नि रूपेन्द्र गोयल
निवासी कैलारस तहसील कैलारस जिला मुरैना
2- श्रीमती पार्वती पुत्री मदनू शाक्य
ग्राम तोरमा तहसील कैलारस जिला मुरैना ---अनावेदकगण

(आवेदक पॅजीकृत डाक से सूचना देने पर भी अनुपस्थित)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एन0डी0शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 06-03-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 48/13-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-10-15 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि राजस्व निरीक्षक वृत्त-1 तहसील कौलारस ने पत्र कमांक 512/रा.नि./2011 दिनांक 12-6-11 लिखकर तहसीलदार कैलारस को प्रस्ताव दिये कि ग्राम गुलपुरा की भूमि सर्वे कमांक 232 मि.2/3 रकबा 0.81 हैक्टर का बटांकन स्वीकृत किया जाय, जिस पर से

तहसीलदार कैलारस ने दिनांक 27-10-11 को प्रकरण पंजीबद्ध करते हुये बटांकन प्रस्ताव स्वीकार किया एंव अक्श नक्शा में तरमीम के भी निर्देश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी, सवलगढ़ ने प्रकरण क्रमांक 30/12-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-1-14 से अपील अवधि वाह्य मानकर निरस्त कर दी। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 13-1-14 के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 48/13-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-10-15 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 13-1-14 एंव तहसीलदार कैलारस का आदेश दिनांक 27-10-11 निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत है।

3/ आवेदक की ओर से श्री एस.के.अवस्थी व्दारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई थी, किन्तु उनकी ओर से पैरवी में रूचि न लेने से आवेदक को सूचना भेजी गई, सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने पर पंजीकृत डाक से सूचना भेजी गई, किन्तु वह अनुपस्थित है फिर भी प्रकरण अदम पैरबी में निरस्त न करते हुये न्यायदान की दृष्टि से अनावेदक के अभिभाषक को सुना जाकर प्रकरण का निराकरण गुणदोष के आधार पर किया जा रहा है।

4/ निगरानी मेमो के तथ्यों एंव अनावेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस के तथ्यों के क्रम में तहसीलदार कैलारस के आदेश दिनांक 27-10-11में , अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 13-1-14 में तथा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के आदेश दिनांक 15-10-15 में आये तथ्यों का तुलनात्मक अध्यन करने पर पाया गया कि अपर आयुक्त व्दारा आदेश दिनांक 15-10-15 में निम्नानुसार विवेचना कर निष्कर्ष दिया है :-

" अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट है कि विचारण न्यायालय व्दारा प्रश्नाधीन भूमियों का बटांकन आदेश दिनांक 27-6-2011 राजस्व निरीक्षक व्दारा भेजे गये बटांकन प्रस्ताव दिनांक 12-6-2011 के आधार पर पारित किया है। विचारण न्यायलय की आदेश पत्रिका

के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायलय द्वारा केवल एक ही प्रोसीडिंग दिनांक 27-6-2011 को अंकित करते हुये प्रकरण में अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है। दिनांक 27-6-2011 को अंकित एकमात्र प्रोसीडिंग निम्नानुसार है :-

राजस्व निरीक्षक वृत्त 1 द्वारा ग्राम गुलपुरा की भूमि सर्वे क्र. 232/3 मिन 2 रकबा 0.81 है. के बटांकन प्रस्ताव किये गये है जो प्रकरण में संलग्न है। अतः उक्त बटांकन प्रस्ताव स्वीकृत किये जाते हैं जो आदेश का अंशमात्र रहेंगे। पटवारी अमल करे राजस्व निरीक्षक को एक प्रति अक्स नक्शे में तरमीम हेतु दी जावे। वाद कार्यवाही प्रकरण अंक से कम होकर दाखिल रिकार्ड हो।

उक्तानुसार विवेचना करते हुये अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने आदेश दिनांक 15-10-15 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के त्रृटिपूर्ण आदेशों को निरस्त किया है जिसके कारण अपर आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-10-15 में किसी प्रकार की विसंगति नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 48/13-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-10-15 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर